संख्या-48/2024/I/560392/2024/001-71-2002-91-2019

प्रेषक,

श्रीप्रकाश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में के0जी0एम0यू0 में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-351/वित्त एवं लेखा/2024, दिनांक 02-05-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में के0जी0एम0यू0 में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए राजस्व पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष रू0 75.00 लाख (रूपया पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2024 की व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में के0जी0एम0यू0 में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए राजस्व पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 75.00 लाख (रूपया पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

(2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र / लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) योजना से आच्छादित मरीजों को सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कराया जायेगा एवं सम्भव न होने पर इस मद का प्रयोग किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00, 000(रुपये पचहत्तर लाख मात्र (को चालू वित्तीय वर्ष 20242025के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050367 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश में बी.पी.एल/.अंत्योदय कार्ड धारकों, लावारिस /विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य) गैर वेतन (के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त)आय-व्ययक (अनुभाग 1-के कार्यालय ज्ञाप संख्या1-/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक04--मार्च, 2024में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-48/2024/1/560392/2024/001-71-2002-91-2019,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in